


## पर्यटकों और प्रातः भ्रमण कर्ता के लिए नियम एवं शर्तें

- 1) केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा कोविड-19 के संबंध में जारी दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन करना होगा।
- (2) पर्यटकों को प्रातः 9 बजे से सांय 5 बजे तक घुमने की अनुमति होगी जोकि प्रथम 04 घंटे के लिए होगी। तत्पश्चात अतिरिक्त प्रवेश/पार्किंग शुल्क का भुगतान करना होगा।
- (3) भ्रमण कर्ताओं को प्रातः 6 बजे से 8 बजे तक ही भ्रमण की अनुमति होगी।
- (4) वन संपदा और निर्माण आदि को क्षति पहुँचने की स्थिति में उसकी क्षतिपूर्ति वसूली जाएगी।
- (5) वाहन आदि सुरक्षा कर्मियों द्वारा निर्धारित स्थान पर ही पार्क करने होंगे।
- (6) परिसर में कूड़ा आदि निर्धारित स्थान पर ही फैंकना होगा अन्यथा की स्थिति में रू0 500/- दण्डस्वरूप वसूले जाएंगे।
- (7) पर्यटकों परिसर के लॉन और घास पर वाहन चलाने आदि की अनुमति नहीं होगी।
- (8) उपरोक्त किसी भी शर्तों का उलंघन होने पर प्रदत्त अनुमति निरस्त कर दी जाएगी।



कुलसचिव  
वन अनुसंधान संस्थान,  
देहरादून।